| अध्याय–VII |
| --- |
| आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली |
| आन्तरिक नियंत्रण |
| आंतरिक लेखापरीक्षा |
| निष्कर्ष |

# अध्याय–VII

# आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

## लेखापरीक्षा तंत्र

प्रशासनिक निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण आन्तरिक नियन्त्रण है कि विभाग द्वारा नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है और राजस्व के संग्रहण की सुरक्षा के लिये पर्याप्त है तथा उनकी अनुपालना की जा रही है।

## 7.1 आन्तरिक नियंत्रण

## अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण

रा.पं.नि., 1955 के अन्तर्गत जिला पंजीयकों (जि.पं.) द्वारा उ.पं.का. का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना चाहिए। निरीक्षण के परिणाम निरीक्षण पुस्तिका में दर्ज किये जाने चाहिए एवं उसकी प्रति महानिरीक्षक को भेजी जानी थी। वृत्ताधिकारियो (उ.म.नि.) द्वारा उ.पं.का. का निरीक्षण जहाँ पिछले वर्ष में 500 से कम विलेख पंजीकृत हुए हो, वहाँ वर्ष में एक बार और जहाँ 500 में अधिक विलेख

अ. दस जिलों की नमूना जांच में जिला पंजीयकों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के उ. पं.का. का वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान अपेक्षित निरीक्षण तथा उनमें रही कमियाँ निम्न प्रकार रही:–

| क्र. सं. | जिला पंजीयक का नाम | क्षेत्राधिकार में स्थित उ.पं. कार्यालयों की संख्या | किए जाने वाले कुल निरीक्षणों की संख्या | किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या | कमी | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | 14 | 56 | 53 | 3 | 5.36 |
| 2 | अलवर | 19 | 76 | 68 | 8 | 10.53 |
| 3 | बूंदी | 7 | 28 | 27 | 1 | 3.57 |
| 4 | जैसलमेर | 3 | 12 | सूचना उपलब्ध नहीं करायी | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | बीकानेर | 9 | 36 | गयी। | | |
| 6 | जयपुर | 25 | 100 | | | |
| 7 | जोधपुर | 13 | 52 | | | |
| 8 | कोटा | 9 | 36 | 13 | 23 | 63.89 |
| 9 | सीकर | 9 | 36 | सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। | | |
| 10 | उदयपुर | 17 | 68 | | | |
| | योग | 125 | 500 | 161 | 35 | |

जिला पंजीयक, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सीकर तथा उदयपुर द्वारा वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान किये गये वास्तविक निरीक्षणों की संख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिला पंजीयक अजमेर, अलवर, बूंदी तथा कोटा द्वारा किये गये निरीक्षणों में 4 से 64 प्रतिशत तक की कमी रही।

**ब.** वर्ष 2006–07 से 2009–10 के दौरान 9 वृत्तों की नमूना जांच में वृत्ताधिकारियों द्वारा अपेक्षित निरीक्षण तथा किये गये वास्तविक निरीक्षण निम्न प्रकार थें:–

| क. सं. | वृत्त अधिकारी का नाम | क्षेत्राधिकार में उ. पं. की कुल संख्या | किए जाने वाले निरीक्षणों की कुल संख्या | किये गये निरीक्षणों की संख्या | कमी | कमी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उ.म.नि. अलवर | 19 | 122 | सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। | | |
| 2 | उ.म.नि. अजमेर | 41 | 328 | 299 | 29 | 8.84 |
| 3 | उ.म.नि. उदयपुर | 31 | 248 | 31 | 217 | 87.5 |
| 4 | उ.म.नि. बीकानेर | 26 | 208 | 64 | 144 | 69.23 |
| 5 | अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर | 5 | 40 | सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। | | |
| 6 | उ.म.नि. (मुद्रांक) जयपुर ग्रामीण | 34 | 272 | | | |
| 7 | उ.म.नि. जोधपुर | 26 | 208 | | | |
| 8 | उ.म.नि. कोटा | 12 | 96 | | | |
| 9 | उ.म.नि. (सर्तकता) जयपुर | 12 | 96 | 45 | 51 | 53.13 |
| | योग | 206 | 1,648 | 439 | 441 | |

उ.म.नि. अजमेर, बीकानेर, सतर्कता जयपुर तथा उदयपुर के अतिरिक्त अन्य वृत्त कार्यालयों द्वारा किये गये वास्तविक निरीक्षणों की संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी। किये गये निरीक्षणों में 9 से 88 प्रतिशत के बीच कमी रही ।

विभाग यह विचार करे कि निर्धारित प्रतिवेदन/विवरणी निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा महानिरीक्षक को भेजते समय दिये गये लक्ष्यों के विरूद्ध किये गये निरीक्षणों की संख्या एवं निरीक्षण के संक्षिप्त परिणाम को दर्शाया जावेगा

## 7.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

**अ.** महानिरीक्षक के सम्पूर्ण नियंत्रण में आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा उप पंजीयक कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है । विभाग में छः आंतरिक जांच दल कार्यरत है । वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान आंतरिक जांच की स्थिति निम्न प्रकार थी :-

| वर्ष | लेखा परीक्षा के लिए बकाया इकाईयों की संख्या | | | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईया | वर्ष के अन्त में अलेखापरीक्षित इकाईया | अलेखापरीक्षित इकाईयों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पूर्व वर्षो का बकाया | चालू वर्ष | योग | | | |
| 2006-07 | सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। | | | | | |
| 2007-08 | 406 | 358 | 764 | 152 | 612 | 80.10 |
| 2008-09 | 612 | 358 | 970 | 349 | 621 | 64.03 |
| 2009-10 | 621 | 369 | 990 | 531 | 459 | 46.36 |

हमने देखा कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान आयोजित आंतरिक लेखापरीक्षा में 46 से 80 प्रतिशत के बीच कमी रही।

17 जनवरी 2012 को आयोजित समापन परिचर्चा में वित्तीय सलाहकार ने बताया कि वर्ष 2007-08 तक की बकाया आंतरिक लेखापरीक्षा सम्पन्न कर ली गयी है।

**ब.** हमने देखा कि वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक की अवधि से सबद्ध राशि
₹ 22.51 करोड के 3,204 अनुच्छेद निस्तारण/वसूली के अभाव में 31 मार्च 2010 को निम्न प्रकार बकाया थें:–

| क्र. सं. | वर्ष | बकाया आक्षेप | | | सम्मिलित राशि (`₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रकियात्मक | वित्तीय | कुल | |
| 1 | 2006–07 | 588 | 405 | 993 | 4.62 |
| 2 | 2007–08 | 171 | 122 | 293 | 1.67 |
| 3 | 2008–09 | 511 | 343 | 854 | 6.29 |
| 4 | 2009–10 | 618 | 446 | 1064 | 9.93 |
| योग | | 1,888 | 1,316 | 3,204 | 22.51 |

मार्च 2006 तक की अवधि से संबधित बकाया अनुच्छेदों की स्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

हमने देखा कि राशि ₹ 22.51 करोड़ के 3,204 अनुच्छेद अनुपालना तथा वसूली के अभाव में बकाया चल रहे थे।

सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह को मजबूत करने के साथ–साथ समय पर गलतियों की पहचान तथा राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण में सुधार को सुनिश्चित करते हुए प्रकट हुई गलतियों की पुनरावृति रोकने तथा बकाया अनुच्छेदों के तीव्र निस्तारण की कार्यवाही पर विचार करना चाहिए।

## 7.3 निष्कर्ष

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 जो 27 मई 2004 से प्रभाव में आया, पंजीयन अधिकारियों के द्वारा पूर्णत: वैसा ही लागू नहीं कर लेख्य पत्रों के पंजीयन में लगातार पूर्व के नियमों की अधिसूचनाओं को लागू कर रहे थे तथा मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क उस दर पर वसूल कर रहे थे जो 1998 के अधिनियम से असंगत थी, परिणामत: राजकोष को हानि हो रही थी । हमने कुछ मामले देखे जिनमें पंजीयन अधिकारियो की राज्य के लोक कार्यालयों के निरीक्षण की असफलता के फलस्वरुप सम्पत्तियों के विक्रय पर लेख्य पत्र जिनमें ऋण वसूली प्राधिकरण, रीको द्वारा पट्टा

**विलेखों का निष्पादन नहीं करने, आई.पी.ओ**

**जारी करने/कम्पनियों के समामेलन पर रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के कार्यालयों द्वारा मुद्रांक कर नहीं देने सें मुद्रांकित/पंजीकृत नहीं हो रहे थे।**

**राज्य में गैर न्यायिक/एडहेसिव मुद्रांकों का भारी भण्डार था। आन्तरिक नियन्त्रण तन्त्र, अपर्याप्त निरीक्षणों तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा को देखते हुये कमजोर था।**

**(सुमन सक्सेना)**
**प्रधान महालेखाकार**
**(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),**

**जयपुर**
**राजस्थान**
**दिनांक**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**(विनोद राय)**
**भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक**

**नई दिल्ली**
**दिनांक**